

कार्यालय नगर परिषद् रामपुर नैकिन जिला- सीधी (म0प्र0)

प्रपत्र-अ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

क्र	विभाग का नाम	विभाग के अन्तर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक-31.12.2017 को लम्बित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2018 को लम्बित आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण			रिमार्क
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग	श्री यशवंत सिंह चौहान	निल	08	08	08	निल	निल	40	बी.पी.एल. कार्डधारी	40	-

नोट :-

- लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) में परिभाषित है।
- इस प्रपत्र में 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
- संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जानी है, अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामपुर नैकिन
जिला- सीधी (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

क्र0	विभाग का नाम	विभाग के अन्तर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक-31.12.2017 को लंछित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2018 को लंछित आवेदनों की संख्या	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि
1	नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग	श्री यशवंत सिंह चौहान	निल	निल	निल	निल	निल	निल

नोट :-

1. लोक प्राधिकारी (Public Authority) की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) में परिभाषित है।
2. इस प्रपत्र में 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक अवधि की प्रत्येक विभाग से सम्बद्ध/अन्तर्गत "लोक प्राधिकारी" वार अपीलों का विवरण दिया जाना है।
3. संकलित जानकारी राज्य सूचना आयोग को 30 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जानी है, अतः शासन के समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आयोग को उपलब्ध कराई जा रही जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।


मुख्य नगर परिषदका अधिकारी
नगर परिषद्/रामपुर नैकिन
जिला- सीधी (म0प्र0)

कार्यालय नगर परिषद् रामपुर नैकिन जिला- सीधी (म0प्र0)

प्रपत्र-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

क्र0	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग	निल	1	1	निल	2	2


 मुख्य नगर प्रशासिका अधिकारी
 नगर परिषद् रामपुर नैकिन
 जिला- सीधी (म0प्र0)

कार्यालय नगर परिषद् रामपुर नैकिन जिला- सीधी (म0प्र0)

प्रपत्र-द

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक प्रगतिवेदन हेतु जानकारी
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

वर्ष 2016 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत
(SUBSTANTIALLY FINANCED) की श्रेणी में आती हैं

क्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम एवं पता
1	2	3
1	नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग	नगर परिषद् रामपुर नैकिन जिला- सीधी (म0प्र0)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् रामपुर नैकिन
जिला- सीधी (म0प्र0)